रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/आषाढ़ 3, 1938
No. 438]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASHADHA 3, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2016

सा.का.नि. 628(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (..........संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 47 में, उपनियम (1) में, पंरतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 30 सितंबर, 2016 तक, ई-रिक्शा के मॉडलों के संबंध में 13 जनवरी, 2015 को प्रकाशित केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख को और से और केंद्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2014 के प्रकाशन से पूर्व विद्यमान ई-कार्टस तथा का.आ. 2590(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, इस उपनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररुप 20 में प्ररुप 21 और प्ररुप 22 जारी करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे –

(i) प्ररुप 22 में विनिर्माता या व्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला सड़क योग्यता प्रमाणपत्र ; और

(ii) प्ररुप 21 में विनिर्माता या व्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुतीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र ।"

[फा. सं. आरटी-11036/80/2012-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. (अ), तारीख को संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2016

G.S.R. 628(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sections 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (………Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 47, in sub rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that upto 30th September, 2016, on and from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015 published on 13th January, 2015, in respect of the models of the E-rickshaws and E-carts existing prior to publication of the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2014 and the notification published vide S.O. 2590(E) dated the 8th October, 2014, the application for registration under

this sub-rule shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of seven days from the date of issue of Form-21 and Form-22 and shall be accompanied by—

(i) road worthiness certificate in Form-22 to be issued by the manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association or any agency authorised by State Government; and

(ii) Sale certificate in Form 21 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association or any agency authorised by State Government for presentation along with the application for registration."

[F. No. RT-11036/80/2012-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E), dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.